तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज
	न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर **अपील संख्या– 09/2022 अंतर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट** **(GCMS No. 2022/1)** **अनवानः** खेताराम पुत्र पेमाराम जाति हरिजन निवासी मेहरासर उपाध्याय तहसील सरदारशहर जिला चूरू हाल काश्तकार मुरब्बा नंबर 51/28 तहसील छतरगढ़। बनाम 1. तहसीलदार राजस्व छतरगढ़ जिला बीकानेर। 2. उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ जिला बीकानेर। ————————————————————————
24.01.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के आदेश दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक नंबर 9 एस.एल.डी.बी. पटवार हल्का राणेर ए, तहसील छतरगढ़ के मुरब्बा नंबर 51/28 व 51/36 कुल 25 बीघा कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट विगत 40 वर्षों से कब्जा काश्त है। अपीलांट की कृषि भूमि के मुरब्बा नंबर 51/28 के किला नंबर 20 व 21 के 3–3 बिस्वा भूमि में कच्चा रास्ता दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, इसी प्रकार अपीलांट की कृषि भूमि के मुरब्बा नंबर 51/28 के उत्तर से दक्षिण की ओर पक्की डामर सड़क किला नंबर 25 के 3 बिस्वा भूमि में से जा रहा है। अपीलांट को दिनांक 13.12.2021 को गांव के काश्तकारों द्वारा यह जानकारी मिली की उसकी कृषि भूमि के खसरा नंबर 51/28 के किला नंबर 21 ता 25 में से 2–2 बिस्वा कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बिना अपीलांट को सुने दिनांक 16.11.2021 को जारी कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ ने दिनांक 16.11.2021 को एकपक्षीय बिना अपीलांट को सुने एवं अविधिक रूप से आदेश पारित किये है। कृषि भूमि में आम रास्ता उसी स्थिति में दिया जाता है जहां पर वैकल्पिक

संभागीय आयुक्त बीकानेर

E. Nirnay 2020

मार्ग उपलब्ध ना हो। मौके पर वैकल्पिक मार्ग भौतिक रूप से व रिकार्ड में भी मौजूद होने के बावजूद अपीलांट की कृषि भूमि से रास्ते के आदेश पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़ों एवं अभिभाषक अपीलांट की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक नंबर 9 एसएलडीबी पटवार हल्का राणेर ए तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर के मुरब्बा नंबर 51/28 व 51/36 की कुल 25 बीघा में स्थित कृषि भूमि है। प्रथम दृष्ट्या अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.11.2021 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण में विस्तृत जांच की आवश्यकता समझते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत उचित आदेश पारित करें।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर